

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935

No. 64]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014

का.आ. 64(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1551 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 5 जुलाई, 2011 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, जिला “बंगलौर ग्रामीण” से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,

तालुक “2. देवनहल्लि” के सामने, कॉलम (5) में, प्रविष्टि “(4) चन्नहल्लि” के पश्चात् प्रविष्टि “(4क) श्रेत्रियातेल्लोहल्लि” और “(4ख) हरलुरु” अंतःस्थापित की जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/26014/2011/पीआईयू-बंगलौर]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, संख्या का.आ. 1551(अ), तारीख 5 जुलाई, 2011 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2014

S.O. 64(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 1551(E), dated the 5th July, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 5th July, 2011, namely :—

In the Schedule to the said notification, against serial number 2, relating to district Bangaloe Rural, taluk “Devanahalli”, under column (5) after the entry “(4) Channahalli”, the entry “4(a) Shrothriyatellohalli” and “4(b) Haraluru” shall be inserted.

[F. No. NHAI/26014/2011/PIU-BNG]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1551(E), dated the 05th July, 2011.